

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड
जिला टास्क फोर्स, पिथौरागढ़

पत्रांक : 140 / जि०टा०फो०पिथौ० / विधुत-टावर / भू०निरी० / 2018-19

दिनांक : 03-07-2018

सेवा में,

सहायक महाप्रबंधक (निर्माण)
पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड,
400 / 220 के०वी० जी०आई०एस० सबस्टेशन,
जौलजीबी, पिथौरागढ़।

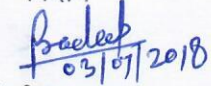
विषय:- जनपद पिथौरागढ़ में 220 के०वी०पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के० वी० धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन में लूप इन लूप आउट विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु चयनित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण के सम्बन्ध में:-

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय के पत्र पत्रांक संख्या NRTS-III/JJB/TL/2018-19/124 दिनांक 28.04.2018 के क्रम में प्रस्तावित स्थल का स्थलीय भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 01.06.2018 और 02-06-2018 को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि श्री केशव मिश्रा (प्रबंधक) एवं श्री विवेक कुमार (कनिष्ठ अभियंता) की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी स्थलीय भूगर्भीय निरीक्षण आख्या इस पत्र के साथ अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

 03/07/2018

(प्रदीप कुमार)

प्रा०सहा०-भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी
पिथौरागढ़।

पत्रांक- / जि०टा०फो०पिथौ० / विधुत-टावर / भू०निरी० / 2018-19, तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

- 1- निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
- 2- जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

(प्रदीप कुमार)

प्रा०सहा०-भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी
पिथौरागढ़।

जनपद पिथौरागढ़ में 220 के०वी०पारेषण लाइन पिथौरागढ़ से जौलजीबी एवम 400 के० वी० धौलीगंगा – बरेली पारेषण लाईन का जौलजीबी सबस्टेशन में लूप इन लूप आउट विधुत पारेषण लाईन के निर्माण हेतु चयनित स्थल की भूगर्भीय निरीक्षण आख्या ।

प्रस्तावना :-

सहायक महाप्रबंधक (निर्माण) पावरग्रिड कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड जौलजीबी के पत्रांक संख्या NRTS-III/JJB/TL/2018-19/124 दिनांक **28.04.2018** के माध्यम से संदर्भित उपरोक्त प्रकरण में प्रस्ताव पूर्ण कराये जाने के उपरांत प्रस्तावित स्थल का भूगर्भीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक **01.06.2018** और **02-06-2018** को कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि **श्री केशव मिश्रा (प्रबंधक)** एवं **श्री विवेक कुमार (कनिष्ठ अभियंता)** की उपस्थिति में सम्पन्न किया गया, जिसकी निरीक्षण आख्या निम्नवत है।

स्थिति एवं भूगर्भीय संरचना :-

प्रस्तावित विधुत पारेषण लाईन **220 के० वी० पिथौरागढ़ – जौलजीबी एवं जौलजीबी सबस्टेशन से लूप इन लूप आउट** का प्रारम्भिक बिंदु पिथौरागढ़ शहर से लगभग 08 कि०मी० की दूरी पर स्थित चण्डाक के निकट पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के परिसर में स्थित है। निरीक्षण के समय स्थल पर उपस्थित कार्यदायी विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित पारेषण लाईन की कुल लम्बाई **23.99 कि०मी०** एवं **लूप इन लूप आउट** की **2.76 कि०मी०** है। जिसमें कुल **78 टावर 220 के०वी०** के, **07 टावर 400 के०वी०** के लूप इन में और **05 टावर लूप आउट** का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। अभिलेखों / मानचित्रों के अनुसार प्रस्तावित विधुत पारेषण लाईन का समरेखण पिथौरागढ़ वन प्रभाग के मड़खड़ायत गांव के निजी भूमि एवं गुंसेरा वन, बीसा बजेड और सतगढ़, पिथौरागढ़ रेंज तथा डीडिहाट वन प्रभाग के चरमागाड व भागीचौरा, ऊंचाकोट रेंज से होकर गुजरेगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की भूमि यथा वन पंचायत भूमि सिविल सोयम भूमि तथा निजी भूमि प्रभावित होगी। विधुत पारेषण लाईन के सम्पूर्ण समरेखण के निर्माण के लिये **0 आरक्षित वन भूमि, 45.0884 हे० वन पंचायत भूमि 13.3613 हे० सिविल सोयम भूमि और 38.3657 हे० निजी भूमि** अर्थात् **96.8154 हे०** भूमि प्रभावित होगी। प्रस्तावित परियोजना के लिये चयनित सम्पूर्ण स्थल भारतीय सर्वेक्षण विभाग की टोपोशीट सं० **62C/6, 62C/5, 62C/2** एवं **62C/1** के अंतर्गत है।

पारेषण लाईन का प्रथम टावर (**AP1**), चण्डाक के निकट पावर ग्रिड कार्पोरेशन लिमिटेड के परिसर के निचें मड़खड़ायत गांव के निकट प्रस्तावित है। यह स्थल एक पर्वत शिखर के निकटवर्ती क्षेत्र में स्थित है। स्थल का प्रारम्भिक बिंदु (**AP1**) समुद्र से लगभग **1772.038 मी०** की ऊंचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशांतर पर स्थित है –

उत्तर $29^{\circ} 36' 48.21''$ अक्षांश

पूर्व $80^{\circ} 12' 3.08''$ देशांतर

कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों / मानचित्रों के अनुसार स्थल पर प्रस्तावित सम्पूर्ण समरेखण के टावर संख्या **1, 2, 11-15, 16, 18-18/1, 20, 29, 38-40, 45, 53-55, 58-60, और 67-68** एवं **400 के०वी०** के लूप इन में **AP No. 1 2 6 7** और **400 के०वी०** के लूप आउट के **1, 2, 3, 4, 5, 6** निजी नाप भूमि के अंतर्गत प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सम्पूर्ण समरेखण के टावर संख्या **3-4, 5-6, 15/1- 16, 22-24, 27-28, 41-42, 43-45, 51-52, 57-58 और 61-62** सिविल सोयम भूमि के अंतर्गत प्रस्तावित है। स्थल पर प्रस्तावित सम्पूर्ण समरेखण के टावर संख्या **6-10, 18/1-19, 20/1-23, 25-27, 30-36, 46-49, 56-57** एवं **61.67 वन**

पंचायत भूमि के अंतर्गत प्रस्तावित है। मौके पर कार्यदायी संस्था के अधिकारियों तथा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर प्रस्तावित सम्पूर्ण समरेखण के कोई भी टावर आरक्षित वन भूमि के अंतर्गत प्रस्तावित नहीं किये गये हैं।

भूगर्भीय निरीक्षण आख्या:- मौके पर निरीक्षण के दौरान पाया गया है कि टावर संख्या 01 से 17 तक चण्डाक से डाउनहिल दिशा में पहाड़ी के सामान्य ढालदार भूभाग से होकर गुजरता है जिसमें कुछ स्थानों में स्वस्थाने चट्टाने दृष्टिगोचर होती हैं तथा कुछ स्थानों में नाप भूमि में टावर लगाये जाने प्रस्तावित है। उक्त स्थानों में कठोर स्वस्थाने चट्टाने डोलोमाईट विद्यमान हैं, जिसमें भूरे रंग की मृदा का आवरण लगभग 0.5 से 01 मी० तक है। उक्त स्थानों में कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है। उक्त 17 टावर सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम बीसा-बजेड के अपहिल भाग तक लगाये जाने प्रस्तावित है। उक्त स्थलों में सामान्य ढाल की प्रवणता उत्तर 70° की ओर है।

सातसिलिंग-थल मोटर मार्ग पर स्थित ग्राम बीसा-बजेड के डाउनहिल दिशा में स्थित बरसाती नाले को पार करते हुये ग्राम सतगढ़ तक पहाड़ी के सामान्य ढालदार भूभाग पर 18 से 25 तक के टावर लगाये जाने प्रस्तावित है, जिसमें कुछ स्थानों में कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान हैं तथा कुछ स्थानों में मृदा के निचले भूभाग में चट्टानों का होना प्रतीत होता है। उक्त स्थानों पर डोलोमाईट प्रकृति की चट्टाने विद्यमान हैं। कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

ग्राम समतल से पिथौरागढ़-धारचूला मोटर मार्ग को कास करते हुये ग्राम कनालीछीना को पार करते हुये ग्राम समलता तक टावर सं० 26 से 32 तक प्रस्तावित है, जिसमें टावर पहाड़ी के अपहिल तथा डाउनहिल दिशा में स्थित रिज भूभाग तथा नाप भूमि में प्रस्तावित है। उक्त भागों में कुछ स्थानों में कठोर स्वस्थाने चट्टाने क्वार्टजाईट प्रकृति की चट्टानें विद्यमान हैं। कुछ स्थानों में कृषि योग्य नाप भूमि में भूरे रंग की मृदा का लगभग 0.5 से 01 मी० मोटा आवरण विद्यमान है। उक्त स्थानों में पहाड़ी का सामान्य ढाल उत्तर 20° तथा कुछ स्थानों में उत्तर 200° की ओर है। कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

ग्राम समलता से ग्राम गोवर्सा होते हुये, गोवर्सा से डाउनहिल दिशा में स्थित चरमा गाड़ के बाये किनारे तक टावर सं० 33 से 42 तक प्रस्तावित है, जिसमें क्वार्टजाईट प्रकृति की चट्टाने विद्यमान हैं, उक्त स्थलों में पहाड़ी का सामान्य ढाल उत्तर 10° से उत्तर 30° तक है। जिसमें टावर पहाड़ी भूभाग के रिज भूभाग तथा नाप भूमि में लगाये जाने प्रस्तावित है। कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

चरमा गाड़ के दांये किनारे से अपहिल भूभाग पर स्थित ग्राम भागीचौरा के पश्चिम दिशा तक टावर सं० 43 से 47 तक प्रस्तावित है, जिसमें क्वार्टजाईट प्रकृति की चट्टाने विद्यमान हैं, उक्त स्थलों में पहाड़ी का सामान्य ढाल उत्तर 220° है। जिसमें टावर पहाड़ी भूभाग के रिज भूभाग तथा कुछ स्थानों में समतल भूमि में लगाये जाने प्रस्तावित है। स्थल सामान्य ढालदार तथा कुछ स्थानों पर कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

ग्राम भागीचौरा से डाउनहिल दिशा में स्थित गुर्जी गाड़ के दांये किनारे तक टावर सं० 50 से 58 लगाये जाने प्रस्तावित है, जिसमें क्वार्टजाईट प्रकृति की चट्टाने विद्यमान हैं, उक्त स्थलों में पहाड़ी का सामान्य ढाल उत्तर 20° है। जिसमें टावर पहाड़ी भूभाग के रिज भूभाग तथा कुछ स्थानों में समतल भूमि में लगाये जाने प्रस्तावित है। नदी से उचित तथा सुरक्षित दूरी छोड़कर ही टावर को लगाया जाना होगा। स्थल सामान्य ढालदार तथा कुछ स्थानों पर कठोर स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान होने के कारण भूस्खलन/भूधंसाव वर्तमान में दृष्टिगोचर नहीं होता है।

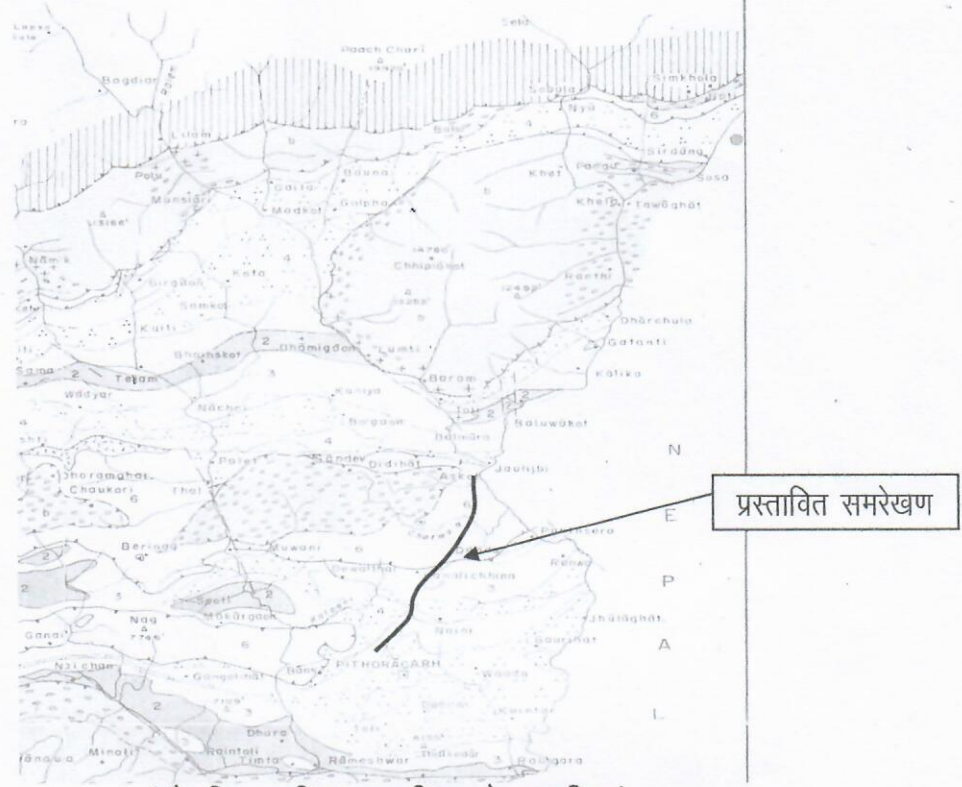
गुर्जी गाड़ के बांये किनारे से ग्राम बगडीहाट, भेलिया तक पहाड़ी के अपहिल दिशा में होते हुये 59 से 78 तक प्रस्तावित है। जिसमें नदी के किनारे वाले भागों में स्वस्थाने चट्टाने विद्यमान हैं तथा अपहिल दिशा में सामान्य ढालदार भूभाग में नाप भूमि में टावर स्थापित किये जाने हैं। स्थल में मृदा का लगभग 0.5 से 01 मी० मोटा आवरण विद्यमान है।

प्रस्तावित सम्पूर्ण विद्युत समरेखण में टावर संख्या 01 से 78 तक जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत ही स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कोई भी टावर बड़ी नदी के ऊपर होकर नहीं जा रही है। प्रस्तावित पारेषण पथ के निचले

भागों में बरसाती नाले तथा गाड़-गदरों के उपरी भागों के गुजर रही है। प्रस्तावित विधुत समरेखण का अंतिम बिंदु टावर संख्या 78 गाव भेलिआ के समतल भूमि में प्रस्तावित है। जहां पर पावर ग्रिड कारपोरेशन का 400/200 के0वी0 जी0आई0एस0 उपकेंद्र प्रस्तावित है। जो कि समुद्र तल से लगभग 687.935 मी0 की ऊचाई पर तथा निम्न अक्षांश व देशांतर पर स्थित है।

उत्तर $29^{\circ} 44' 41.31''$ अक्षांश

पूर्व $80^{\circ} 21' 36.28''$ देशांतर



(भूवैज्ञानिक मानचित्र कुमाउ रिजन-के0एस0बल्लिया)

भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोड से प्रस्तावित विधुत लाईन समरेखण का प्रारम्भिक भाग लघु हिमालय पर्वत शृखला के विकसित सोपानो के मध्य तेजम समूह की मंधाली फोरमेशन व गंगोलीहाट फोरमेशन मे स्थित है। जबकि मध्य भाग और अन्तिम भाग जौनसार समूह के बेरीनाग फोरमेशन की चट्टानो से होकर गुजरता है। प्रस्तावित सम्पूर्ण समरेखण पर्वत शिखर से प्रारम्भ होकर घाटी क्षेत्र व पहाडी भूभाग से होकर गुजरता है। टावर लगाने हेतु अधिकांश स्थलों पर स्वस्थाने चट्टानम तथा कुछ स्थानों पर मृदा का आवरण है जिसमें मृदा के निचने भाग की ओर स्वस्थानिक प्रजाती की चट्टाने विधमान है। स्वस्थाने चट्टानों के कुछ भागों में वलन युक्त संधियुक्त तथा कहीं कहीं पर भंशों से प्रभावित है। जबकी समरेखण के मध्य भाग मे कैल्कैरियस प्रकृति की चट्टाने भी पायी गयी जो कुछ स्थानो पर अपरदित अवस्था मे है तथा अन्तर्सतही जल के प्रभाव के कारण कमजोर होने की स्थिति में दृष्टिगोचर होती है। पिथौरागढ़ के भूगर्भीय गठन को तीन प्रमुख प्रारंभिक इकाई में समूहित किया गया है जैसे कि—

1. पिथौरागढ़ के कैल्क जोन ने पिथौरागढ़ और गंगोलीहाट क्षेत्र के उपखंड को मेल किया।
2. बेरीनाग के क्वार्टजाइट जोन डीडिहाट से लेकर अस्कोट के कुछ भाग को और बेरीनाग और चर्मा घाटी पथ के साथ होतै हुए अस्कोट के क्रिस्टलीय जोन जिसमें थल के मध्यम से आस्कट से चौकोडी तक फैली लंबी दूरी शामिल है, मे स्थित है। संरचनात्मक रूप से तीन स्थलीय गठन दो टैक्टोनिक इकाइयों से संबंधित है जो जिला पिथौरागढ़ के पूर्वी

f

3. निचली टेक्टोनिक इकाई में क्वार्टिजाइट जोन शामिल है और कैल्सरस रॉक क्रॉल नैपे का विस्तार है और ऊपरी टेक्टोनिक इकाई गढ़वाल नैपे का लम्बाई है और इसमें क्रिस्टलीय क्षेत्र शामिल है।

सम्पूर्ण समरेखण में कुछ टावर पर्वत शिखर पर कुछ ढालदार भूभागों में तथा कुछ घाटी वाले समतल भूभागों में प्रस्तावित किये गये हैं। ढलानों पर प्रस्तावित टावरों के निर्माण हेतु स्थलों का एक स्तर में विकसित किया जाना प्रस्तावित है अथवा दो स्तरों में विकसित भूभागों में विशेष सुरक्षात्मक कार्य करते हुए विशेष टावरों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। कुछ टावरों को स्थापित करने वाली प्रस्तावित भूमि पर असंगठित मृदा का मोटा आवरण पाया गया है तथा कुछ टावरों के निर्माण ऐसे स्थलों पर प्रस्तावित हैं जहां वर्षा काल में जल के प्रवाहित होने की सम्भावना है। ऐसे संवेदनशील भूभागों में विशेष सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक होंगे। सम्पूर्ण समरेखण के मध्य तथा कुछ टावरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में बरसाती नाले स्थित हैं। इन नालों के जिनके निकटवर्ती क्षेत्रों में लगाये जाने वाले विधुत टावरों के निर्माण में विशेष सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक होंगे। प्रस्तावित स्तल / क्षेत्र भारतीय सीजमिक मानचित्र में सक्रिय भूकम्पिय पट्टी V (वेरी हाई डैमेज जोन) में वर्गीकृत किया गया है जहां स्थल अधिकांशतः लघु से मध्यम व यदा कदा वृहत तीव्रता के भूकम्पों से प्रभावित हो सकता है। प्रस्तावित भूभाग में वर्तमान भूगर्भीय निरीक्षण के समय भू-धसाव / भूस्खलन नहीं पाया गया। यह स्थल वर्तमान में स्थिर (प्राकृतिक आपदा को छोड़कर) प्रतीत होता है।

सुझाव एवं शर्तें :-

प्रथम दृष्ट्या निरीक्षण के दौरान वर्तमान में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे कि विधुत परेषण लाईन निर्माण से भूखण्ड को कोई खतरा उत्पन्न हो तथापि भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से विधुत पारेषण लाईन का निर्माण करते समय निम्नलिखित सुझावों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है।

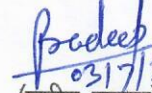
1. टावर संख्या 07, 11, 12 व 13 अधिक ढालदार भूभाग में प्रस्तावित हैं। टावर संख्या 20/1 - 20, 18/1 - 18 एवं 42.43 के मध्य अधिक स्पान है। टावर संख्या 25-26 पिथौरागढ़-धारचूला मोटर मार्ग के मध्य हाईवे गुजरता है। टावर संख्या 42 और 61 का निर्माण असंगठित मृदा के उपर किया जाना प्रस्तावित है। कोई भी टावर किसी नदी के उपर से नहीं जा रहा है। जबकि टावर संख्या 58-59 गुर्जी गाड और 42-43 चरमा गाड को पार करके जाना प्रस्तावित है। उक्त समस्त टावरों के स्थलानुसार विशेष सुरक्षात्मक कार्य किये जाने तथा विशेष मजबूत टावरों का निर्माण किया जाना होगा।
2. प्रस्तावित पारेषण लाईन भूकम्पिय पट्टी पांच एवं चार के अंतर्गत स्थित है। विधुत लाईन एवं टावरों के स्थापित किये जाने हेतु भूकम्प के अधिकतम परिमाणों के कम्पनों को दृष्टिगत रखते हुए भूकम्परोधी तकनीकों को अपनाया जाना नितांत आवश्यक होगा।
3. स्थलों पर टावर निर्माण कार्य करने से पूर्व स्थलों की भाग्यही क्षमता की जांच करना अनिवार्य होगा तथा जांच के उपरांत प्राप्त होने वाली संस्तुतियों के अनुरूप ही निर्माणकार्य किया जाना होगा। जांच के उपरांत प्राप्त होने वाली एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जानी होगी।
4. स्थल पर प्रस्तावित विधुत टावरों को एक निश्चित गहराई में गड्ढे खोदकर सीमेंट व कंकरीट के निश्चित अनुपात में ग्राउट कर टावरों को खड़े किया जाना भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से आवश्यक होगा तथा इन टावरों के चारों ओर भूरक्षण को रोकने हेतु सुरक्षात्मक उपाय किये जाने आवश्यक होंगे।
5. सम्पूर्ण पारेषण लाईन भारतीय मानकों (सिविल अभियांत्रिकी एवं इलैक्ट्रिकल अभियांत्रिकी) के अनुरूप पर्याप्त सेफ्टी फैक्टर के समाकलन के उपरांत नवीनतम एवम अध्ययन तकनीक से निर्माण करना आवश्यक होगा।
6. प्रस्तावित विधुत टावरों के चारों ओर जल निकास की समुचित व्यवस्था किया जाना उचित होगा। जिससे की वर्षा जल टावरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित भूभाग के अंदर प्रवेश ना करने पाये।

R

7. स्थल पर प्रस्तावित विधुत समरेखण के मध्य स्थित बरसाती नालो के निकटवर्ती क्षेत्र मे लगाई जाने वाले विधुत टावरो के निर्माण मे विशेष सुरक्षात्मक उपाय किये जाने अत्यंत आवश्यक होंगे तथा टावरो के निकट स्थित बरसाती नालो मे सुरक्षात्मक उपाय किये जाने अत्यंत आवश्यक होंगे ।
8. यदि स्थल का भाग वन भूमि मे स्थित है तो वन भूमि हस्तांतरण के उपरांत ही विधुत पारंषण लाईन का निर्माण किया जाना होगा
9. स्थल पर प्रस्तावित विधुत टावरो के निकटवर्ती भूभाग मे स्थित उर्ध्वाधर खुले भूभागो मे सुरक्षात्मक उपाय किये जाने भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक होंगे ।
10. स्थल पर निर्माण कार्य स्थल के निकटवर्ती क्षेत्र मे स्थित मोटर / सम्पर्क मार्ग व आवासीय क्षेत्र से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही तथा इस प्रकार किया जाना होग कि मार्ग / आवासीय क्षेत्र को कोई क्षति ना पहुंचने पाये ।
11. स्तल पर विधुत लाईन निर्माण कार्य स्थल पर स्थित वृक्षो से नियमानुसार पर्याप्त दूरी पर ही किया जाना होगा ।

निष्कर्ष

अतः उपरोक्त सुझावो के पूर्णतया अनुपालन कि दशा मे ही उपरोक्त स्थल भूगर्भीय संरचना के दृष्टिकोण से विधुत पारंषण लाईन निर्माण हेतु (प्राकृतिक आपदा को छोडकर) उपर्युक्त प्रतीत होता है । यदि कार्यदायी विभाग द्वारा उपरोक्त सुझावो का पूर्णतया अनुपालन नही किया जाता है तो यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा । उक्त के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली भूगर्भीय दृष्टिकोण से विपरीत परिस्थितियो के लिये कार्यदायी विभाग स्वयं ही उत्तरदायी होगा ।


03/7/2018
(प्रदीप कुमार)

प्रा0सहा0-भूविज्ञान/प्रभारी अधिकारी